

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 499]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 28, 2014/फाल्गुन 9, 1935

No. 499]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 28, 2014/PHALGUNA 9, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2014

सं. 71 (आर.ई.-2013)/2009-2014

**विषय:** विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के अध्याय 3 में संशोधन।

**का.आ. 581(अ).—** विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैराग्राफ 1.3 के साथ पठित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2009-2014 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है:

2. विदेश व्यापार नीति 2009-2014 के पैरा 3.15.3 को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा [शामिल किए जा रहे अंश को बड़े अक्षरों में दर्शाया गया है]:

"3.15.3 मार्के लिंकड फोकस उत्पाद स्क्रिप (एमएलएफपीएस):

उच्च निर्यात तीव्रता/रोजगार संभावना (जो मौजूदा एफपीएस सूची में शामिल नहीं है) के उत्पादों/क्षेत्रों के निर्यात को एफपीएस के अन्तर्गत निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य (मुक्त विदेशी मुद्रा में) के 2 प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन दिया जाएगा जबकि उन्होंने लिंकड बाजारों (देशों) को निर्यात किया हो, जो मौजूदा एफएमएस सूची में शामिल न हो। ऐसे उत्पादों को 27.8.2009 से किए गए निर्यात के लिए प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-I के परिशिष्ट 37घ की सारणी 2 अथवा सारणी 3 में सूचीबद्ध किया जाएगा, जब तक कि सार्वजनिक सूचना/अधिसूचना द्वारा निर्यात की एक निश्चित तारीख/अवधि विनिर्दिष्ट न की गई हो।

3. विदेश व्यापार नीति 2009-2014 के पैरा 3.15.4 को शामिल किया जाता है और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

3.15.4 "सारणी 3 में सूचीबद्ध उत्पादों को दिया जाने वाला प्रोत्साहन परिशिष्ट 37घ की सारणी 1 अथवा सारणी 2 के तहत पात्र समान मद के लाभ के अतिरिक्त होगा।"

इस अधिसूचना का प्रभाव: परिशिष्ट 37घ में एक नई सारणी 3 को जोड़ा गया है जो अतिरिक्त लाभों के लिए पात्र होगी।

[फा. सं. 01/91/180/820/एम12/पीसी 3]  
अनुप के. पूजारी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th February, 2014

**No. 71 (RE-2013)/2009-2014**

**Subject: Amendments in Chapter 3 of Foreign Trade Policy 2009-2014**

**S.O.581(E).**— In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 read with Para 1.3 of the Foreign Trade Policy, 2009-2014, the Central Government hereby makes the following amendments in the Foreign Trade Policy (FTP) 2009-2014 with immediate effect:

2. Para 3.15.3 of FTP 2009-2014 is amended [*Portion being added has been marked in bold letters*] to be read as under:

**“3.15.3 Market Linked Focus Products Scrip (MLFPS):**

Export of Products/Sectors of high export intensity/employment potential (which are not covered under present FPS List) would be incentivized @ 2 % of FOB value of exports (in free foreign exchange) under FPS when exported to the Linked Markets (countries), which are not covered in the present FMS list. Such products will be **listed** in Table 2 **or Table 3** of Appendix 37D of HBPv1, for exports made from 27.8.2009 onwards, unless a specific date of export/period is specified by public notice/notification.

3. Para 3.15.4 of [FTP 2009-2014](#) is inserted and would be read as under:

3.15.4 **“Incentive to the products listed in Table 3 will be in addition to any benefit which the same item may be entitled to under Table 1 or Table 2 of Appendix 37D.”**

**Effect of this Notification:** A new Table 3 has been added in Appendix 37 D which would be entitled to additional benefits.

[F. No. 01/91/180/820/AM12/PC3]

ANUP K. PUJARI, Director General of Foreign Trade